

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दोसा (राज.)

मु.न. 304/18

सरकार

बनाम

श्री: परमात्या पु
नथोली लखा

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 27/2/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री परमात्या पुत्र श्री नथोली लखा जाति लखा निवासी खलीम तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रावे / खरीक में ग्राम खलीम की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 14.98 कवाड़े 0.02 कवाड़े पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पन्नागत है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाता है। भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.88 का 50 गुना 44 रुपये की शक्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षण को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकगील लख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दोसा)
तहसीलदार

महवा जिला दोसा

रजिस्टर ग/व नं पेज नं. 27 पर
वर्ष 2017-18
की राशि 44 रुपये
की जमा का
दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा